निर्वाचन आवश्यक/फैक्स/ई0मेल

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : /रा.नि.आ.-2/1716/2014

दिनांक 19/07/2014

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग-2 : देहरादूनः कः

विषयः- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के पदों के निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी किया जाना।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा उपाध्यक्ष जिला पंचायत पद के सामान्य निर्वाचन-2014 सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1614/रा0नि0आ0-2/1716/2014 दिनांक 19 जुलाई, 2014 के क्रम में उक्त निर्वाचनों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला पंचायत के समस्त उम्मीदवारों एवं निर्वाचकों हेतु आज **दिनांक 19.07.2014 से आदर्श आचार-संहिता प्रभावी** की जाती है जो **मतगणना समाप्ति तक प्रभावी** रहेगी।

2. उक्त आचार संहिता समस्त जिला पंचायत के सदस्यों तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के पद के उम्मीदवारों तथा उनके निर्वाचन के संबंध मे किये जाने वाले कार्यो/हितों के संबंध में समस्त पर लागू रहेगी।

3. अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह अपेक्षा की जाती है किः-

1. मा0 मंत्रीगणों को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अवगत करा दिया जाय कि उक्त कारण से जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन सम्पन्न होने तक जिला पंचायत सदस्यों के साथ सामूहिक भोज/अभिनन्दन, समारोह/सत्कार अथवा मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग न लें।
2. उक्त निर्वाचनों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ए से धारा 171-आई तक के प्राविधान लागू रहेगे।
3. उपरोक्त अवधि में जिला पंचायतों द्वारा भूमि, भवन, दुकान, अचल सम्पत्तियों के पट्टे आदि नहीं दिये जा सकेंगे तथा विभिन्न प्रकार के ठेकों/टेण्डरों की स्वीकृति भी नहीं दी जायेगी।
4. उक्त अवधि में जिला पंचायत को शासन से दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अ नुदान से सम्बन्धित कोई आदेश न जारी किये जाय।

कृपया तद्नुसार समस्त संबंधित को सूचित कर अपने स्तर से भी सभी संबंधित को प्रभावी आदेश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

कमश.......2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

संख्याः– 1616 /रा0नि0आ0–2/1716/2014 तद्दिनांक। (फैक्स)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक सूचना एवं लोकसर्म्पक विभाग उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे समाचार पत्रों में निशुल्कः प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)।
10. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)।
11. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)।

19/7/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।